

# परिषद की आगरा जोन के अन्तर्गत

कमलानगर योजना, सिकन्दरा योजना आगरा, कासगंज, शिकोहाबाद, हाथरस, मैनपुरी, एवं खुर्जा में आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का



## आवंटन/नीलामी

**आवंटन/नीलामी दिनांक : 31.08.2012,**  
समय प्रातः 10.30 बजे

**स्थल : एफ-42,**  
सिन्धु भवन, कमला नगर, आगरा

### नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का प्रकार/सेक्टर	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व.मी. में)	अनुमानित मूल्य /आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) (रु. लाख में, प्र.व.मी.)
<b>कमलानगर योजना/हास यमुना प्रथम, आगरा</b>			
दुकानें	एफ-958/6, 958/7 (02 नग)	8.16	4.60 लाख प्र. नग
दुकानें	एफ-958/1 (01 नग)	7.92	4.41 लाख
दुकानें	एफ-958/8 (01 नग)	8.55	4.82 लाख
दुकानें	बी-15 (01 नग)	10.32	6.52 लाख
<b>प. दीनदयाल उपाध्याय पुरम (सिकन्दरा योजना) आगरा</b>			
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-3ए)	3ए / कॉम-15 (कार्नेर)	1350.00	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-3ए)	3ए / कॉम - 16	750.00	24640/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-3ए)	3ए / कॉम-21, 3ए/ कॉम-22, 3ए / कॉम - 23, 3ए/ कॉम - 24, 3ए/ कॉम - 25	580.00	24640/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-3बी)	3बी / कॉम - 10 (कार्नेर)	890.00	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-3बी)	3बी / कॉम - 11	820.00	24640/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-4)	ए - कॉम (कार्नेर) (01 नग)	4486.60	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-4 आर)	4 आर/कॉम - 101 (कार्नेर) , 4 आर / कॉम - 106 (कार्नेर) (अनु. जा. हेतु)	384.23	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-4 आर)	4 आर / कॉम - 108 (अनु. जा. हेतु)	299.40	24640/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-4 आर)	4 आर / कॉम - 103, 4 आर / कॉम - 109 (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	299.40	24640/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-4 आर)	4 आर / कॉम - 102 (वरिष्ठ नागरिक सामान्य)	299.40	24640/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-4 आर)	4 आर / कॉम - 104, 4 आर / कॉम - 105, 4 आर / कॉम - 110, 4 आर / कॉम - 111, (अनारक्षित)	299.40	24640/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-4 आर)	4 आर / कॉम - 107 (कार्नेर) (अनारक्षित)	379.24	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-4 आर)	4 आर / कॉम - 112 (कार्नेर) (अन्य पिछड़ा वर्ग)	379.24	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-8)	एस - 3/1	561.12	24640/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-8)	एस - 3/2 (कार्नेर)	480.06	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-8)	3/2 (कार्नेर) (सामान्य हेतु)	60.08	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-8)	3/3 (कार्नेर) (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	105.53	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-13)	13 बी / कॉम/पी-1 (कार्नेर)	936.00	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-14)	14 / सीपी - 104 (कार्नेर)	635.36	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-16 ए)	16 ए / कॉम -1 (कार्नेर)	1477.30	27104/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-16 बी)	यूप हाउसिंग भूखण्ड (सेक्टर-16 बी)	9152.24	20328/- प्र.व.मी.
कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड (सेक्टर - 12डी)	12 डी - एस-1 (कार्नेर) (ओबीसी)	368.64	27104/- प्र.व.मी.
	12 डी /एस-2 (सामान्य)	243.80	24640/- प्र.व.मी.
	12डी/एस-3 (एस.सी.)	213.69	24640/- प्र.व.मी.
	12 डी/ एस-4 (कार्नेर)	186.72	27104/- प्र.व.मी.
	16 ए/ एच-सी-1 (कार्नेर)	1037.40	20328/- प्र.व.मी.
	सीसी - 3/1 (कार्नेर) (लीज पर)	1266.84	13552/- प्र.व.मी.
हेल्थ सेन्टर (सेक्टर - 16 ए)		13.083	6.57 लाख
सामुदायिक केन्द्र (सेक्टर-3)		12.60	6.33 लाख
दुकाने (सेक्टर - 16)	2/16, 3/ 16	8.07	4.05 लाख
दुकाने (सेक्टर - 16)	4/16, 5/16, 6/16	7.62	3.83 लाख
दुकाने (सेक्टर - 16)	7 / 16	9.69	4.87 लाख
दुकाने (सेक्टर - 16)	8/16	8.88	4.87 लाख
दुकाने (सेक्टर - 16)	9/16	7.98	4.99 लाख
दुकाने (सेक्टर - 16)	10/16	7.04	3.54 लाख
दुकाने (सेक्टर - 16)	11/16	6.32	3.18 लाख
दुकाने (सेक्टर - 16)	12/16		

### शिकोहाबाद

व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-2 ए)	2 ए/ सी-9 (कार्नेर) (01 नग)	368.23	9856/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-2 ए)	ए / 3 (01 नग)	252.00	8960/- प्र.व.मी.
कम्प्युनिटी सेन्टर (सेक्टर-2)	2 बी / सीसी-1	2460.00	4840/- प्र.व.मी.
हेल्थ सेन्टर (सेक्टर -2)	2बी / एससी-1	3292.50	7392/- प्र.व.मी.

### हाथरस

व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-3)	3/1, 3/4 (कार्नेर)	240.62	11088/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-3)	3/2	192.50	10080/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-3)	3/3 (कार्नेर)	246.38	11088/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-3)	3/5	197.75	10080/- प्र.व.मी.
व्यवसायिक भूखण्ड (सेक्टर-3)	3/6 (कार्नेर)	237.74	11088/- प्र.व.मी.

### कासगंज

संस्थागत भूखण्ड (सेक्टर- 4 ए)	पोस्ट आफिस हेतु एवं बैंक हेतु भूखण्ड (02 नग)	800.00	7560/- प्र.व.मी.
सामुदायिक केन्द्र (सेक्टर - 4 ए)	4 ए/सीसी-1 (लीज पर) (01 नग)	2778.13	5445/- प्र.व.मी.

### मैनपुरी

नर्सिंग होम भूखण्ड (सेक्टर- 3)	3/1 (कार्नेर)	817.50	8870/- प्र.व.मी.
नर्सिंग होम भूखण्ड (सेक्टर- 3)	3/2	789.75	8064/- प्र.व.मी.
नर्सिंग होम भूखण्ड (सेक्टर- 3)	3/3	772.69	8064/- प्र.व.मी.
संस्थागत भूखण्ड (सेक्टर- 6)	6/आई.एन.एस.-5	1580.00	8064/- प्र.व.मी.

**नोट :-** 1. सिकन्दरा योजना, आगरा सेक्टर - 3 स्थित सामुदायिक भूखण्ड सं. सीसी-3/1 में 12.00 मी. चौड़ी रोड के सामने 6.00 मी. चौड़ी भूमि (जिसका क्षेत्रफल लगभग 264.60 व.मी.) पार्किंग स्थल हेतु छोड़ना आवश्यक है तथा यह भूमि कुल क्षेत्रफल में सम्मिलित है। 2. कन्वेनियन्ट भूखण्ड सं. - 12डी/एस-1, एस-2, एस-3 एवं एस-4 में पार्किंग हेतु ले-आउट में दर्शाई गई भूमि का मूल्य भी आवेदक को स्वीकृत उच्चतम बोली की दर से भुगतान करना होगा। 3. मल्टीप्लेक्स भूखण्ड में स्थल पर दो पीपल के पेड़ खड़े हैं जिन्हें आवंटन के स्वयं हटाना होगा। उक्त पेड़ों के आधार पर भविष्य में कोई विवाद मान्य नहीं होगा।

### नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियां (श्रेणी-ए)

सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार	सेक्टर संख्या/ सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) (रु. लाख में, प्र.व.मी.)
------------------------	--------------------------------	-----------------------	---

### सिकन्दरा योजना, आगरा

उच्च आय वर्ग (63/162)	2 सी/212 (कार्नेर)	369.12	58.36 लाख
-----------------------	--------------------	--------	-----------

### खुर्जा योजना

मध्यम आय वर्ग भवन (80/122)	सेक्टर 2, 6/115	124.19	24.75 लाख
----------------------------	-----------------	--------	-----------

### लाटरी/आवंटन द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियां (श्रेणी बी)

सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार	सेक्टर संख्या/ सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) (रु. लाख में, प्र.व.मी.)
------------------------	--------------------------------	-----------------------	---

### हाथरस योजना

दुर्बल आय वर्ग भवन (18/40)	सेक्टर 1 एवं 2, 133 एवं 374 (02 नग)	41.31	3.09 लाख
----------------------------	-------------------------------------	-------	----------

**आवंटन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप :-** (1) योजना/शहर का नाम....., (2) भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल....., (3) आवेदक का नाम ....., (4) पिता/पति का नाम ....., (5) पत्र व्यवहार का पता ....., (6) दूरभाष/मोबाइल नं. ...., ईमेल आई.डी ....., (7) आरक्षण श्रेणी..... (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें), (8) संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... (9) निर्गत कर्ता बैंक का नाम..... धनराशि....., (10) भुगतान का विकल्प ..... आवेदक का नाम ..... आवेदक का हस्ताक्षर..... तिथि ..... स्थान.....

**सील्ड बिड का प्रारूप :-** योजना/शहर का नाम..... सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल..... आरक्षित मूल्य..... ऑफर मूल्य/दर..... (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं), टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु..... बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक..... नाम..... पिता /पति का नाम..... आरक्षण श्रेणी..... (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)..... पत्र व्यवहार का पता..... दूरभाष/मोबाइल नं..... ईमेल आईडी..... दिनांक..... स्थल ... .. नाम-पिता / पति का नाम-संस्थान / फर्म / कम्पनी का नाम..... पूरा पता.....।

### घोषणा पत्र का प्रारूप (आवेदन एवं सील्ड बिड दोनों के साथ आवश्यक)

(1) मैं सम्पत्ति की स्थलीय स्थिति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सम्पत्ति 'जहाँ है -जैसी है' के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। (2) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम ..... संबंधित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है। (3) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की गत वित्तीय वर्ष 2010-11 की समस्त ऋणों से आर्य रु. .... से अधिक नहीं है। (4) मुझे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं। आवेदक के हस्ताक्षर .....

### नियम व शर्तें :-

1. आवेदन/सील्ड बिड सम्बंधित शहर/योजना के स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु. 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 2. सील्ड बिड/आफर अंकित करते हुये रु. 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील्ड बिड फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकनमनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्यदिवस) तक सम्बंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना आवश्यक है। 3. आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड सम्बंधित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है - 1. कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कमला नगर, आगरा 2. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र. आवास विकास एवं विकास परिषद, शॉपिंग कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-9, सिकन्दरा योजना आगरा। 3. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सुहास नगर योजना शिकोहाबाद/फिरोजाबाद। 4. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सोरो रोड, कासगंज। 5. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, एमआईजी 3/69, आवास विकास कालोनी, हाथरस। 6. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, योजना सं.-1, मैनपुरी। 4. सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 5. आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बंधी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा। किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 6. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' के पक्ष में सम्बंधित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ, निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र दिनांक 29.08.2012 तथा सील्ड बिड दिनांक 30.08.2012 को सांय 5.00 बजे तक उपरोक्त पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 7. अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 8. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में 'जहाँ है, जैसी है' के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन/आकार या स्थलीय के आधार पर बाद में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 9. सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टॉप पेपर पर अनुबंध/विक्रय उपरान्त किया जायेगा। 10. नवविकसित सम्पत्तियों में उपलब्धता की स्थिति में गुपिंग की सुविधा नियमानुसार अनुमत्य होगी। 11. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय/जोन के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) पर पब्लिक नोटिस के अन्तर्गत देखी जा सकती है। 11. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

परिषद से सम्बंधित समस्या के निराकरण हेतु **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की गयी है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।  
**1800-180-5333 (टोल फ्री), 0522-2236803**

(आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित संस्था)  
**उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद**  
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ  
Web : <http://www.upavp.com> E-mail : [upavp@sanchar.net.in](mailto:upavp@sanchar.net.in)